

an>

Title: Election of two Members from Lok Sabha to the Public Accounts Committee.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्रीमती दर्शना जरदोश और श्री अजय मिश्र टेनी, जो मंत्रियों के रूप में नियुक्त हो गए हैं, के स्थान पर लोक लेखा समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्रीमती दर्शना जरदोश और श्री अजय मिश्र टेनी, जो मंत्रियों के रूप में नियुक्त हो गए हैं, के स्थान पर लोक लेखा समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)